कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक रतनगढ़ जिला चूरू

क्रमांकः—805 दिनांक :—22.04.2019

सेवामें,
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
जिला चूरू

विषयः—जांच रिपोर्ट सम्पर्क पोर्टल ग्रिवियन्य क्रमांक 03190675326829 दिनांक 25.3.19 परिवादी ज्ञानेश कुमार निवासी वार्ड नम्बर 07 रतनगढ तहसील रतनगढ़।

प्रसंगः—श्रीमान के आदेश क्रमांक 13599 दिनांक 16.04.2019 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग के सन्दर्भ में निवेदन है कि सम्पर्क पोर्टल परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार निवासी वार्ड नम्बर 07 रतनगढ़ का इस आशय की प्राप्त हुआ की कि दिनांक 08.02.2019 को प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर शीर्षक पूरा थाना लाइन हाजिर चार निलंबित के सम्बन्ध में वगैरा—वगैरा परिवाद प्राप्त होने पर परिवाद वास्ते जांच थानाधिकारी पुलिस थाना रतनगढ़ को भिजवाई गई।

थानाधिकारी पुलिस थाना रतनगढ़ ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया है कि परिवाद श्री पवन कुमार सउनि के सुपुर्द की गई। दौराने जांच सउनि ने परिवाद में अंकित परिवादी के मोबाईल नम्बर 9828346151 पर सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि मैं इस मामले में बयान देने नहीं आ सकता हूं। मैं जबाब दो सरकार का चीफ एडीटर हूं। इस तरह की खबरों के बारे में वास्तविकता के सम्बन्ध में सरकार से जानकारी लेता हूं। जिनको दूरभाष पर अवगत कराया गया कि दिनांक 06.02.19 को पुलिस थाना रतनगढ़ में कस्टोडियन डेथ हुई थी जिसके सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही में चार कर्मचारियों का निलम्बन व थाना के अन्य कर्मचारियों को लाईन हाजिर किया गया है जो खबर अखबार में प्रकाशित हुई

इस मामले में नियमानुसार न्यायिक जांच श्रीमान एसीजेएम साहब सुजानगढ द्वारा फरमाई जा रही है। जिसके पूर्ण होने पर ही तथ्यात्मक रिपोर्ट आपको मिल सकती है जिस पर परिवादी ने कहा कि ठीक है जो है वो आप लिख कर भिजवा दो जिस पर उपरोक्त तथ्यों के सम्बन्ध में पूर्व में परिवादी को अवगत करवा दिया गया है, परिवादी ने परिवाद जांच रिपोर्ट से सतुष्ट नही होते हुये अंकित किया है कि कार्यवाही पूर्ण होने तक शिकायत को जारी रखी जावे।

परिवाद में न्यायिक जांच जारी है अतः तथ्यात्मक रिपोर्ट अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

एस डी
पुलिस उप अधीक्षक
वृत रतनगढ़